संख्या-147/2018/3584/71-2-2018-287/2017टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

2 अपर मुख्य सचिव,
परिवहन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

3 प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन

4 प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

5 प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

6 जिलाधिकारी,
जनपद-बलरामपुर,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

विषयः- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ ऐट बलरामपुर" की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

बलरामपुर जिला विकास की दृष्टि से उ0प्र0 के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है एवं तदनुसार ''Aspirational District'' की श्रेणी में आता है। 3345 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में विस्तृत इस जिले की सीमा नेपाल से लगी हुई है एवं जनसंख्या 21 लाख है। जनपद में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है और इस क्षेत्र में एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) एवं जापानी इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (जे0ई0एस0) सहित विभिन्न रोगों का प्रकोप रहता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06-12-2018 में जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के सैटेलाइट कैम्पस की स्थापना का विनिश्चय हुआ था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-बलरामपुर तथा नेपाल से सटे हुए पूर्व तराई क्षेत्र के अन्य पिछडे जनपदों की जनता को समुचित उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के साथ ही साथ पर्याप्त प्रशिक्षित चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक एवं नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ आदि मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जनपद-बलरामपुर में "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ ऐट बलरामपुर" की स्थापना किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के सेटेलाईट कैम्पस की स्थापना जिलाधिकारी, के पत्र संख्या- 1429/डी0एल0आर0सी0/चिकि0शि0/2018, दिनांक 06-12-2018 (प्रतिसंलग्न) के अनुसार जनपद व तहसील-बलरामपुर के ग्राम सिरसिया, ग्राम-खगईजोत एवं ग्राम-महादेव मिश्र में अवस्थित 82 किता भूखण्डों जिनका कुल क्षेत्रफल 23.505 हेक्टेयर है, पर की जाये। सेटेलाईट कैम्पस में संयुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चिकित्सालय, बलरामपुर भी सम्मिलित होगा, जिसके चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार/किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को हस्तान्तरण के लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम स्तर से यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

4- विषयगत सेटेलाईट कैम्पस हेतु ग्राम-सिरसिया में अवस्थित भूमि खाता संख्या-00002, कुल गाटा संख्या 12 किता की भूमि जिसका क्षेत्रफल 5.589 हेक्टेयर है तथा ग्राम-खगईजोत में अवस्थित भूमि खाता संख्या-00001, कुल गाटा संख्या-21 किता, क्षेत्रफल 4.680 हेक्टेयर अर्थात कुल 10.269 हेक्टेयर भूमि, जैसा कि जिलाधिकारी बलरामपुर के संलग्न पत्र दिनांक 06-12-2018 में वर्णित है एवं जिसका स्वामित्व राजस्व अभिलखों में उ0प्र0 सरकार एवं कलेक्ट्रेट बलरामपुर आवासीय/अनावासीय कार्यालय के नाम दर्ज है, को निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किया जाय।

5- सेटेलाईट कैम्पस के लिंक मार्ग के चौडीकरण हेतु ग्राम-सिरसिया में खाता संख्या-00002 कुल गाटा संख्या-07, क्षेत्रफल-0.284 हेक्टेयर जिसका राजस्व अभिलेखों में स्वामित्व उ0प्र0 सरकार के नाम दर्ज है एवं ग्राम-महादेव मिश्र के खाता संख्या-00001 एवं 00002 में अवस्थित कुल 07 किता गाटा की भूमि जिसका क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर है एवं जिसका राजस्व अभिलेखों में स्वामित्व उ0प्र0 सरकार एवं कलेक्ट्रेट बलरामपुर आवासीय/अनावासीय व कार्यालय आदि के नाम दर्ज है, जैसा कि जिलाधिकारी बलरामपुर के संलग्न पत्र दिनांक 06-12-2018 में वर्णित है, को लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाय।

6- उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-जिलाधिकारी बलरापुर का पत्र दिनांक 06-12-2018</u>

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-147/2018/3584(1)/71-2-18-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मण्डलायुक्त, देवीपाटन।
6. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in